0SSJCOE-SC-23-2021 Dated: 17.12.2021

SSJCOE-N-18-2021

Shah Satnam Ji College of Education, Sirsa

Notice cum Staff Circulation

All the Girl students of the college are informed that a team of reporters from Sach Kahoon, News paper, Sirsa will visit the college to collect/obtain the views of Girls' on the Centre's Bill to raise women's marriage age from 18 to 21 years. All the interested girls, who want to give their valuable views can meet Dr. Ranjeet Singh and Mr. Sandeep Singh (Assistant Professor) to give their names. Ms. Anju Rani is directed to write prepare report of this event in report file.

Principal

17/12/2021

Scanned with OKEN Scanner

Date: 17-12-2021

Activity: News Bytes on the Centre's Bill to Raise Women's Marriage Age

The Government of India has passed a bill to raise the minimum age of women for marriage from 18 to 21 years. The decision is based on the recommendation of a task force led by former head of Samata Party Jaya Jaitely. Government has said that raising legal age for marriage will bring positive effects in case of child birth after the age of 21 years. Not only physically, but it will also result positively in many other areas for women.

The pupil-teachers of Shah Satnam Ji College of Education participated in a group discussion organised by Mr. Sumit Verma, reporter of daily newspaper "Sach Kahoo". Here are some glimpses of the views expressed by the pupil-teachers.

Arju

परिचर्चा : लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 करने का शिक्षिकाओं ने किया स्वागत

बोली, सरकार के निर्णय बेटियों को आगे बढ़ने और पढ़ने के मिलेंगे अवसर, बचेगी कुपोषण से

सच कहूँ/सुनील वर्मा

सरसा। देश की केन्द्रीय केबिनेट ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार का मानना है कि अगर पहले बच्चे को जन्म देने वाली महिला की उम्र 21 साल से अधिक होगी तो यह महिलाओं और बच्चों की सेहत की दृष्टि से ही नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक मोर्चे पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा बेटियों को पढ़ने और आगे बढ़ने के समान अवसर प्राप्त होंगे। केन्द्र सरकार द्वारा पास किए गए इस प्रस्ताव पर जब सच कहूँ संवाददाता ने शाह सतनाम जी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में अध्ययनरत भावी शिक्षिकाओं से बातचीत की तो उन्होंने इस फैसले को महिलाओं के हक में बताया। भावी शिक्षिकाओं ने सरकार के इस निर्णय पर क्या प्रतिक्रियाएं दी, इसके मुख्य अंश इस प्रकार हैः-

विवाह के लिए बेटियों की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने से लड़के व लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु समान हो जाएगी। इस संशोधन से मातृत्व की उम्र से संबंधित मामले, मातृ मृत्यु दर कम करने, पोषण में सुधार और शिक्षा स्तर संबंधी मुद्दों में काफी सुधार आएगा।

-काजल

लड़की की शादी की उम्र 21 वर्ष होने से समाज के आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इससे महिला व बच्चों पर सेहत की दृष्टि से भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। पढ़ाई व रोजगार में अच्छे अवसर मिलेंगे।

-लक्ष्मी देवी

मैं सरकार के इस फैसले का स्वागत करती हूँ। इससे मातृ-मृत्युदर में कमी आएगी। अच्छी सोच विकसित करने के अवसर प्राप्त होंगे और आर्थिक पक्ष से भी लड़कियों की स्थिति बेहतर बनेगी।

-पूनम

लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 वर्ष करने की मैं भी पक्षधर हूँ। क्योंकि इससे लड़कियों को अपना कौशल दिखाने का मौका मिलेगा और महिलाएं ज्यादा परिपक्व होंगी तथा उनकी समझ बेहतर होगी। इसके अलावा इस फैसले से व्यावहारिक समझ और शारीरिक विकास को पूर्ण बढ़ावा मिलेगा।

-सुनीता देवी

लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल करने से सबसे ज्यादा फायदा लड़कियों को शिक्षा हासिल करने में होगा। क्योंकि शादी करने के साथ ही अधिकतर लड़कियों की उच्च शिक्षा अधूरी रह जाती है। इसके अलावा वह अपने पैरों पर भी खड़ी हो पाएगी। साथ उनमें शारीरिक व मानसिक परिपक्वता आएगी।

-प्रियंका

लड़की की शादी की उम्र 18 से 21 साल करने से गर्भवती मां और बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सकता है। इसके अलावा लड़कों और लड़कियों की शादी कानूनी उम्र में फर्क मिटाया जा सकेगा। इससे लड़की का शारीरिक व मानसिक विकास सही तरीके से हो सकता है।

-नीतू

केन्द्रीय कैबिनेट द्वारा लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 करने पर सबसे ज्यादा फायदा ग्रामीण आंचल की लड़कियों को होगा। इससे गांव की बेटियां और सक्षम बनेंगी और बेटियों को पढ़ने व आगे बढ़ने के समान अवसर मिलेंगे। मैं सरकार के इस सराहनीय निर्णय का स्वागत करती हूँ।

-पूनम

लड़की की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 करने से महिला के स्वास्थ्य से लेकर उनके सामाजिक जीवन पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। 21 साल की उम्र में लड़की की शादी होगी तो लड़की कुपोषण से बचेगी। साथ में वह अपनी शिक्षा पूरी कर पाएगी। जिससे उसकी व्यवहारिक सोच में भी बदलाव आएगा।

-ज्योति

Scanned with OKEN Scanner